पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

महेश प्रसाद सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 922

में

2020 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 127

25 सितंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या एक अशैक्षणिक कर्मचारी, जिसने 16 वर्ष की आयु में सेवा प्रारंभ की और 44 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 67(क) के अंतर्गत 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने का दावा कर सकता है, जबकि पूर्व स्थापित न्याय सिद्धांत ऐसे मामलों में सेवा की अवधि को सीमित करते हैं?

हेडनोट्स

न्यायालय ने रजगवा नारायण मिश्रा बनाम मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य कृत्रिम गर्भाधान बोर्ड, 2006 (1) पी.एल.जे.आर. 410 (पूर्ण पीठ) के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी कर्मचारी 40 वर्ष की सेवा या 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद सेवा में नहीं रह सकता और सेवा में कम आयु में प्रवेश अतिरिक्त लाभ का आधार नहीं हो सकता। खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि सेवा में 44 वर्ष पूर्ण होना सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त है और कम उम्र में नियुक्ति नियमों को नहीं उलांघ सकती।

(अनुच्छेद - 6.3)

खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई और उसी को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। (अनुच्छेद - 7)

न्याय दृष्टान्त

रजगवा नारायण मिश्रा बनाम मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य कृत्रिम गर्भाधान बोर्ड, **2006 (1) पी.एल.जे.आर. 410 (पूर्ण पीठ)**; गणेश सिन्हा बनाम बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय व अन्य, सिविल रिट संख्या 11890/2005, आदेश दिनांक 22.04.2009

अधिनियमों की सूची

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976; बिहार सेवा कोड; बिहार पेंशन नियमावली

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा निवृत्ति; सेवा अवधि; अशैक्षणिक कर्मचारी; विश्वविद्यालय सेवा नियम; 44 वर्षों की सेवा; अल्पायु में नियुक्ति; लेटर्स पेटेंट अपील; रमेश्वर कॉलेज; सेवा समाप्ति; बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम

प्रकरण से उत्पन्न

सिविल रिट न्यायिक मामला संख्या 922/2020

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए : श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिए : श्री शशि शेखर तिवारी एएजी-15 के एसी

उत्तरदाता विश्वविद्यालय के लिए : श्री विवेका नंद सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 922

में

2020 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 127

==========

महेश प्रसाद सिंह, पिता- कपिल देव सिंह, निवासी- रॉयल अकादमी के पास, अलकापुरी, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन कोड- 842001

... ...अपीलकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से।
2. बी. आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर अपने कुलसचिव के माध्यम से।
3. कुलपति, बी. आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
4. कुलसचिव, बी. आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
5. प्राचार्य, रामेश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

... ...उत्तरदातओं

==========

उपस्थिति:

अपीलकर्ता के लिए : श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरदाता राज्य के लिए : श्री शशि शेखर तिवारी एएजी-15 के एसी

उत्तरदाता विश्वविद्यालय के लिए: श्री विवेका नंद सिंह, अधिवक्ता

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांकः 25-09-2024

वर्तमान अपील 2020 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 922 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 16.01.2020 के आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय नियमों की लेटर्स पेटेंट अपील के खंड 10 के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट आवेदन को खारिज कर दिया है।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव श्रीवास्तव, उत्तरदाता-राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता- 15 के विद्वान सहायक अधिवक्ता श्री शशि शेखर तिवारी और प्रत्यर्थी बी. आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विवेकानंद सिंह को सुना गया।

3. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैंः

3.1. अपीलकर्ता/मूल याचिकाकर्ता को तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय, रामेश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में चपरासी के पद पर पत्र संख्या 04.08.1975 के माध्यम से नियुक्त किया गया था और उन्होंने 08.08.1975 को अपनी सेवा प्रारंभ की। उक्त महाविद्यालय को बाद में विश्वविद्यालय की एक घटक इकाई के रूप में ले लिया गया।

3.2. अपीलकर्ता अपनी नियुक्ति के बाद से ही महाविद्यालय में सेवारत थे। महाविद्यालय के प्राचार्य ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को संबोधित दिनांक 09.09.2019 के पत्र द्वारा महाविद्यालय के उन शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत की, जो वर्ष 2019-20 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। इस सूची में याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल था और उन्हें 44 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 31.08.2019 को सेवानिवृत्त होता दिखाया गया था।

3.3. इसके बाद अपीलकर्ता ने दिनांक 09.09.2019 को विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 67(ए) के प्रावधान और इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हवाला दिया गया और अनुरोध किया गया कि उन्हें 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए।

3.4. इसके बाद, विश्वविद्यालय ने दिनांक 27.09.2019 के पत्र के माध्यम से महाविद्यालय के प्राचार्य को अपीलकर्ता की सेवा का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उपरोक्त पत्र के जवाब में, प्राचार्य ने दिनांक 17.10.2019 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता की सेवा का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि 14.08.1959 है और उसे 08.08.1975 पर नियुक्त किया गया था। अतः 44 वर्ष की सेवा के पूरा होने पर, अपीलकर्ता 31.08.2019 पर सेवानिवृत्त होगा।

3.5. विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी दिनांक 09.11.2019 के आक्षेपित कार्यालय आदेश द्वारा अपीलकर्ता को 31.08.2019 को महाविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त दिखाया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता ने ज्ञापन संख्या बी/2217 वाले उक्त कार्यालय

आदेश दिनांक 09.11.2019 को चुनौती देने के लिए उपर्युक्त रिट आवेदन को प्राथमिकता दी।।

3.6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता/मूल याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिका में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को 44 साल तक सेवा करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त किया गया है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया है कि दिनांक 09.11.2019 का आक्षेपित आदेश पारित करते समय जिसके द्वारा अपीलकर्ता को 31.08.2019 से सेवा से सेवानिवृत्त किया गया है, संबंधित अधिकारियों ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया है। अपीलकर्ता का यह विशिष्ट मामला था कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 67(ए) में बिहार राज्य के भीतर विश्वविद्यालयों की सेवा में शिक्षण के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में प्रावधान हैं और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। इस स्तर पर, अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि 14.08.1959 होते हुए, वह 31.08.2021 पर 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाला था, जबकि अपीलकर्ता को 31.08.2019 से सेवानिवृत्त किया गया है जिससे अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसे रिट आवेदन पर विचार करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस तथ्य की सराहना नहीं की गई है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इस अपील की अनुमति दी जा सकती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जा

सकता है और प्रत्यर्थी अधिकारियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को भी दरकिनार किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, राज्य सरकार और प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उत्तरदाता अधिकारियों द्वारा पारित आदेश में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है क्योंकि अपीलकर्ता को 44 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया है।

5.1. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने मामले में पूर्ण न्यायपीठ द्वारा ***रागजावा एनआर. मिश्रा बनाम सी.ई.ओ., बिहार, आर.के.जी. बोर्ड,*** जिसे ***2006(1) पी.एल.जे.आर. 410 [एफ.बी.]*** में रिपोर्ट किया गया, में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।

5.2. प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तरदाता संख्या- 1 की ओर से दायर जवाबी शपथ-पत्र को संदर्भित किया है और उसके बाद तर्क दिया है कि अपीलकर्ता को 44 साल से अधिक की सेवा की अनुमति देने का मतलब यह होगा कि वह वयस्कता प्राप्त करने से पहले सेवा में शामिल हो गया था, यानी जब अपीलकर्ता नाबालिग था। यह प्रस्तुत किया गया है कि 44 साल की सेवा पूरी करने के बाद एक गैर-शिक्षण कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का मुद्दा *अनिर्णीत विषय* नहीं है क्योंकि इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 11890/2005 **(गणेश सिन्हा बनाम बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय और अन्य)** में पारित दिनांक 22.04.2009 के आदेश द्वारा इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय पर आधारित इसी प्रकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इसलिए, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि इस अपील को खारिज कर दिया जाए।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और अभिलेख में रखी गई सामग्री और इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा ***रागजावा नर. मिश्रा*** (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय का अध्ययन करने के बाद यह सामने आएगा कि अपीलकर्ता 08.08.1975 को चपरासी के रूप में सेवा में शामिल हुआ, अर्थात, जब अपीलकर्ता नाबालिग था, अर्थात 16 वर्ष की आयु में। शुरू में, उन्हें तत्कालीन बिहार विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालय में नियुक्त किया गया था, हालांकि, उक्त महाविद्यालय को बाद में विश्वविद्यालय की घटक इकाई के रूप में ले लिया गया था। अपीलकर्ता अपनी नियुक्ति के बाद से महाविद्यालय की सेवा में बने हुए थे। हालाँकि, अपीलकर्ता की शिकायत यह है कि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को संबोधित दिनांक 09.09.2019 के आक्षेपित संचार के माध्यम से, महाविद्यालय के शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों की एक सूची, जो वर्ष 2019-20 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, प्रस्तुत की गई है। अपीलकर्ता का नाम भी उक्त संचार में सामने आया और उसे 44 साल की सेवा पूरी करने पर 31.08.2019 पर सेवानिवृत्त होते हुए दिखाया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 67(ए) में निहित प्रावधानों पर भरोसा किया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि गैर-शिक्षण कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता लगभग 16 वर्ष की आयु में सेवा में शामिल हुआ था और इसलिए, उसने 31.08.2019 पर 44 वर्ष की सेवा पूरी की थी।

6.1. यह अपीलकर्ता का मामला है कि अपीलकर्ता की जन्म तिथि, स्वीकार्य रूप से, 14.08.1959 होने के कारण, वह 31.08.2021 पर 62

वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा, इसलिए उसे 31.08.2021 तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

6.3. **रागजावा एनआर. मिश्रा** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा अब *अनिर्णीत विषय* नहीं है। इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने उक्त निर्णय के कंडिका सं. 16, 17 और 18 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

> *"16. चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है कि दोनों याचिकाकर्ताओं ने जब उत्तरदाता बोर्ड के साथ अनुबंध किया था, तब वे वयस्क नहीं हुए थे। इसके कानूनी प्रभाव और असर के अलावा, सेवा संबंध के संदर्भ में अनुबंध की स्थिति पर प्रभाव और अंतिम परिणाम, एक व्यक्ति को वैध सेवा में प्रवेश करने के लिए कहा जा सकता है, केवल तभी जब वह वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेता है। इसलिए सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। सेवा से बाहर निकलने के लिए लिए अधिकतम आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरे शब्दों में पेंशन लाभ के लिए किसी भी स्थिति में सरकारी सेवा की कुल अवधि 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस संदर्भ में, ऊपर उल्लिखित सरकारी परिपत्र पर विचार करने की आवश्यकता है। जब कोई स्पष्ट नियम प्रावधान हो, जो इसेके विपरीत या असंगत है तो किसी परिपत्र या प्रस्ताव या आदेश में कोई कानूनी और वैध प्रभाव नहीं होगा। भले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए 1998 के उक्त परिपत्र को उनके लिए फायदेमंद माना जाता है, फिर भी, इसे इस समय बिहार पेंशन नियमों के साथ-साथ बिहार*

सेवा संहिता में शामिल मौजूदा वैधानिक प्रावधान के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए, उस दृष्टिकोण से भी, याचिकाकर्ताओं को यह प्रतिवाद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उन्हें 58 वर्ष की आयु के बाद भी पद पर बने रहने का अधिकार है, हालांकि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में इसका प्रावधान है, जो 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है।

17. तीसरा, यह कानून और न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का तय और स्थापित प्रस्ताव है कि एक व्यक्ति जो सेवा में प्रवेश बिंदु पर एक या अन्य कारणों से अनुचित लाभ उठाता है, उसे यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उसे अधिक लाभ दिया जाए और यदि यह आग्रह किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि प्रवेश बिंदु पर, सेवा में कुछ गलत या अनियमित किया गया है। इस प्रकार, स्थापित सिद्धांत भी इस न्यायालय से राहत प्राप्त करने में एक बहुत मजबूत बाधा पैदा करता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के प्रावधान का आह्वान द्वारा असाधारण, विशेषाधिकार, न्यायसंगत और विवेकाधीन रिट श्रेत्राधिकार का उपयोग कर रहा है।

18. इसलिए, हमारी राय में दोनों रिट याचिकाओं में ***आक्षेपित*** *आदेशों में, स्पष्ट रूप से, किसी भी दृष्टिकोण से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जैसा कि इसमें ऊपर चर्चा की गई है। इसलिए, कानून के प्रस्ताव को स्पष्ट और स्पष्ट किया गया है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 73 में निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु सेवानिवृत्ति के उद्देश्य से लागू होगी और किसी व्यक्ति को सेवा में 40 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी जारी नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने 40 वर्ष*

की सेवा पूरी कर ली है या 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसे मौजूदा नियम प्रावधान के अनुसार अधिवर्ष्तिा प्राप्त करनी होगी। इसलिए हमारा उत्तर बहुत स्पष्ट है और हम इस संदर्भ के अनुसार उत्तर देते हैं। ऊपर उल्लिखित उपरोक्त निर्णयों में विरोधाभासी दृष्टिकोण एक अच्छा कानून नहीं होगा।"

6.4. यहाँ तक कि एक अन्य विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने भी **गणेश सिन्हा** (उपरोक्त) के मामले में, पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, इसी तरह के मामले में, निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"इसलिए, इस न्यायालय को रागजावा नारायण मिश्रा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के फैसले के अनुपात का पालन करते हुए यह अभिनिर्धारित करना चाहिए कि आक्षेपित आदेश में विश्वविद्यालय का निर्णय किसी भी दुर्बलता तथ्यात्मक या कानूनी से ग्रस्त नहीं है, और इस तरह याचिकाकर्ता को 18 अगस्त, 2004 से महाविद्यालय में अपनी सेवा के 44 साल पूरे करने पर सेवानिवृत्त करने वाले विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

वास्तव में, विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता के प्रति दयालु और विचारशील रहा है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को पहली बार महाविद्यालय में 2.2.1957 पर नियुक्त किया गया था और यदि उस तारीख से 44 साल की अवधि की गणना की जाती है, तो याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति फरवरी, 2001 से प्रभावी हो सकती थी। याचिकाकर्ता को वास्तव में अपनी पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ की गणना के लिए अपनी सेवा की अवधि की गिनती के उद्देश्य से भी तीन साल की सेवा की

अवधि का लाभ मिला है और उसे अपने सितारों का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालय ने सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों पर कार्रवाई की होती तो याचिकाकर्ता को वास्तव में फरवरी, 2001 से सेवानिवृत्त किया जा सकता था।"

6.5. इस प्रकार, वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है, अपीलकर्ता की जन्म तिथि को देखते हुए, 14.08.1959 होने के नाते, कि उसे 08.08.1975 पर 16 वर्ष की आयु में नियुक्त किया गया था और इसलिए, उसने 31.08.2019 को 44 वर्ष की सेवा पूरी की थी। इस प्रकार, हमारा विचार है कि वर्तमान मामला पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित आदेश द्वारा पूरी तरह से शामिल किया गया है।

7. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायमूर्ति ने वर्तमान अपीलकर्ता/मूल याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट आवेदन को खारिज करते समय कोई त्रुटि नहीं की है। इसलिए, वर्तमान अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

पवन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।